# ग्राम पंचायत लड़वाकोट

| क्र0सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (1) | बिजेन्द्रसिंह मनवाल घाईसेन | |
| (2) | दिगम्बर सिंह मनवाल — | दिगम्बर |
| (3) | नरेन्द्र सिंह मनवाल — | नरेन्द्र |
| (4) | बलवन्त सिंह मनवाल — | Balwant Singh Manwal |
| (5) | संजय भट्ट — | Sm Kamal |
| (6) | ज्ञान किशोर भट्ट — | ज्ञान किशोर भट्ट |
| (7) | राजेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी — | राजेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी |
| (8) | दर्शन लाल सेमवाल — | दर्शनलाल |
| (9) | धर्मानन्द सेमवाल — | धर्मानन्द |
| (10) | मस्तराम सेमवाल — | मस्तराम सेमवाल |
| (11) | औंतार सिंह मनवाल — | औंतार |
| (12) | हुकम सिंह मनवाल — | हुकम |
| (13) | इंदर सिंह मनवाल — | इन्दर |
| (14) | धीरेन्द्र सिंह मनवाल — | धीरेन्द्र |
| (15) | रामानन्द सेमवाल — | रामानन्द |
| (16) | चन्द किशोर भट्ट | |
| (17) | यशोदा देवी | यशोदा देवी |
| (18) | बुद्धि प्रसाद | बुद्धि प्रसाद |
| (19) | हरीप्रसाद | हरीप्रसाद |
| 20. | मनीराम | मनीराम |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड
रायपुर

प्रधान, ग्राम पंचायत लड़वाकोट
हस्ताक्षर तिवाड़ी
दिनांक 04-01-2020
विकास खण्ड रायपुर, देहरादून

**परियोजना का नामः–** जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाई सैन होते हुए अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

# कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006(समय–समय पर संसोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.08.2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 24/02/2020 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Sattlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अनतर्गत काली माटी चित्तौर घई सैन होते हुए अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्मण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को वनभूमि हस्तांतरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार लड़वा कोट में ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 14.01.2020 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3)के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित उपजिलाधिकारी समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 31.01.2020 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि उनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Sattlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकारी हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न की गई।

| | | |
|---|---|---|
| जिला समाज कल्याण अधिकारी<br>देहरादून<br>सदस्य सचिव | प्रभागीय वनाधिकारी<br>देहरादून वन प्रभाग देहरादून<br>सदस्य | जिलाधिकारी<br>अध्यक्ष<br>देहरादून |

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

District Magistrate
Dehradun

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
********

No...56/F.R.A. D. Dun Dated.24/02/2020

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MOEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non &forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 1.5225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer T.D. P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Construction of Kali Matti Chhitoor Ghaisen to Upper Talai motor road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Ladwa Kot village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 1.5225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee's Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. The diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
c. The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature
(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

Form-II
For Project other linear projects
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. ...56/.F.R.A. D. DUN ********* Dated 24/07/2020

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that1.5225 hectares forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttrakhand/ Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for Construction of Kalimati Chittor Ghaishen to Upper talai Motor road in Dehradun District falls within jurisdication of Gram Panchayat Ladwa Kot in Dehradun Tehsil.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement for right under the FRA has been carried out for the entire 1.5225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....

(a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication , in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, sho ared eligible under the FRA:

(b) The each of concerned Gram Sabha(s), has been certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measured, if any, having understood the purposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure to annexure....

(c) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:

(d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it:

(e) The rights of Primitive Tribal/Groups and pre- agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA.

Encl. :- as above.

Signature
(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

D.sharda manjeet letter

# कार्यालय उप जिलाधिकारी,
# अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
# उपखण्डीय स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग निर्माण हेतु (1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.49 हे0 सिविल/समाज भूमि 2.6775 हे0 नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो0नि0वि0, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की बैठक दिनांक 31-01-2020 का कार्यवाही विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पी0आर0 बिनवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री पी0आर0 बिनवाल उपजिलाधिकारी देहरादून — अध्यक्ष
2. श्री डी0के0 [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग — सदस्य
3. श्री मीनाक्षी उपाध्याय सहायक समाज कल्याण अधिकारी रायपुर — सदस्य/सचिव
4. श्री मिनाक्षी कोठारी बी0डी0सी0 क्षेत्र लड़वा कोट — सदस्य

सदस्या क्षेत्र पंचायत 01 अपर तलाई विकासखण्ड – रायपुर देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग निर्माण हेतु (1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.49 हे0 सिविल/समाज भूमि 2.6775 हे0 नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो0नि0वि0, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक पहुंच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग निर्माण हेतु (1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.49 हे0 सिविल/समाज भूमि 2.6775 हे0 नाप भूमि वन भूमि का अ0ख0 लो0नि0वि0, ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ~~देहरादून~~ उपखण्ड रायपुर,
देहरादून।

**प्रतिलिपि :–** जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ~~देहरादून~~ उपखण्ड रायपुर
देहरादून।

ASWO Raipur
मीनाक्षी उपाध्याय

# कार्यालय ग्राम पंचायत लड़वाकोट
# तहसील देहरादून
# जिला देहरादून।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतू (1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.49 हे0 सिविल/समाज भूमि 2.6775 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत लड़वाकोट द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा आवेदन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदन वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम लड़वाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत काली माटी चित्तौर घाईसेन होते हुये अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतू (1.0325 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.49 हे0 सिविल/समाज भूमि 2.6775 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को मार्ग निर्माण हेतु प्रदान किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान, ग्राम पंचायत लड़वाकोट
हस्ताक्षर शिवानी
दिनांक 14-01-2020
विकास खण्ड रायपुर, देहरादून

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत—
विकास खण्ड—
जिला—

ग्राम प्रधान